न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
131/2024(रा.अ.) (GCMS 2024/441)	18.12.2024	15.10.2025

अनवान

1. याकूब मोहम्मद पिता अकबर शाह जाति मुसलमान आयु 77 साल धन्धा खेती निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2. बबलू उर्फ जाकिर हुसैन उर्फ बबलू पिता चांद मोहम्मद जाति मुसलमान आयु 32 वर्ष निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. नूर जहां पुत्री अकबर शाह पत्नी कासम हुसैन आयु 60 साल निवासी केली हाल मुकाम शास्त्री नगर के पास हुसैन कॉलोनी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा (राज.)
2. सलीम मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद जाति मुसलामन आयु 60 वर्ष निवासी केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3. जमीला बानों पुत्री चांद मोहम्मद पत्नी कालू जाति मुसलामन आयु 45 वर्ष निवासी केली हाल मुकाम जावद दरवाजा निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4. सुल्ताना पुत्री चांद मोहम्मद पत्नी रफीक मोहम्मद जाति मुसलामन आयु 25 वर्ष निवासी केली हाल मुकाम रामपुरा जगदीश मंदिर के पास धानमण्डी तहसील मनासा जिला नीमच (मध्य–प्रदेश)।
5. हुसैन बानो पुत्री अकबर शाह पत्नी अब्दुल लतीफ जाति मुसलामन आयु 70 वर्ष निवासी केली हाल मुकाम नीमच दरवाजा पोस्ट ऑफिस के पास रामनूज भोज मंदिर के पास जावद तहसील जावद जिला नीमच (मध्य–प्रदेश)।
6. ग्राम पंचायत केली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत केली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
7. राजेन्द्र कुमार पिता भंवरलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी तुम्बा तहसील जावद जिला नीमच (मध्य–प्रदेश)।
8. सीताबाई पत्नी भंवरलाल जाति धाकड आयु वयस्क निवासी तुम्बा तहसील जावद जिला नीमच (मध्य–प्रदेश)।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–	राकेश पुरी गोस्वामी	अपीलार्थीगण
	खुमराज कुमावत	प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4, 5
	अनिल पाटीदार	प्रत्यर्थी संख्या 7, 8
	एक तरफा (01.07.2024 से)	प्रत्यर्थी संख्या 3, 6

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2137 विरासत अकबर शाह के बाबत ग्राम पंचायत केली निर्णय दिनांक 14.01.2008

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की कृषि आराजीयात मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने, बिना सुनवाई का समुचित अवसर दिये मृतक अकबर शाह पिता मुन्ना शाह फकीर की मृत्यु होने के पश्चात् विरासतन नामान्तरकरण दायर किया जाकर निर्णय पारित किया गया, जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के समक्ष दिनांक 05.06.2024 को प्रस्तुत की गई, जिसे उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 031/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा अपने निर्णय/आदेश दिनांक 25.09.2024 से राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के पत्रांक/5(8)राजस्व–6/97 दिनांक 19.09.2006 एवं 27.01.2007 के अनुसार में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135(1) के तहत तहसीलदार द्वारा निर्णित अविवादित नामान्तरकरण की अपील सुनवाई के अधिकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1)(ए) में अंकित प्रावधानों के तहत न्यायालय जिला कलक्टर में निहित होने से वास्ते सुनवाई हेतु प्रकरण अंतरित किया गया, जिससे हस्तगत अपील जैरकार है।

अपील अपीलार्थीगण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। न्यायालय आदेश दिनांक 01.07.2024 से प्रत्यर्थी संख्या 3 व 6 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावी है। न्यायालय आदेश दिनांक 24.09.2024 से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 जा0दी0 प्रत्यर्थी संख्या 7 व 8 की और से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत दिनांक 05.08.2024 स्वीकार किया जाकर हस्तगत प्रकरण में पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 की और से जवाब अपील एवं जवाब मियाद प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 01.04.2025 को प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 की और से जवाब प्रार्थना–पत्र एवं जवाब मियाद प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। हस्तगत अपील बेरून मियाद पेश होने से सर्वप्रथम अपील अपीलार्थीगण में मियाद के बिन्दु का निर्धारण किया जाना आवश्यक होने से उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम को सुना गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली के नामान्तरकरण संख्या 2137 की जानकारी प्रार्थी अपीलार्थीगण को नहीं थी पटवार हल्का से नकल लेने के बाद प्रार्थी अपीलार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई। जानकारी होते ही नकल दरखास्त पेश की और नकल प्राप्त होते ही यह अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील के पेश होने में जो देरी हुई है। वह जानकारी के अभाव में हुई है जो सद्भावना पूर्वक है जो संतोषजनक है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि नामान्तरण संख्या 2137 की जानकारी अपीलार्थीगण को सन् 2008 से ही है मृतक अकबर शाह व चांद मोहम्मद की विरासत का एक ही इंतकाल खोला गया व इंतकाल खोलने बाबत् राजस्व कर्मचारियों द्वारा सभी वारिसान से पूछा व नाम व हक हिस्से कब्जे बाबत् पूछा जिससे सभी वारिसान को जानकारी है उसके बाद अपीलार्थी याकूब मोहम्मद द्वारा बैंक से ऋण लेने से बैंक लोन खाते में दर्ज रिकार्ड सन् 2011 में होने से अपीलार्थी को खातेदारी की जानकारी पूरी है व दिनांक 27.12.2010 को सन् 2010 में अकबर शाह की पुत्री यानि अपीलार्थी संख्या 01 की बहन हसीना बानो पुत्री अकबर शाह से अपीलार्थी संख्या 01 याकूब मोहम्मद द्वारा अपने पक्ष में हक त्याग की रजिस्ट्री कराई जिसकी अपीलार्थी संख्या 02 को भी मौके पर वक्त रजिस्ट्री होने एवं अन्य सभी भाई बहनों को जानकारी थी। उसके बाद अपीलार्थी संख्या 01 याकूब मोहम्मद द्वारा दिनांक 07.02.2022 को सीता बाई के पक्ष में कराई विक्रय पत्र की रजिस्ट्री, अपीलार्थी संख्या 02 बबलू मोहम्मद उर्फ जाकिर हुसैन द्वारा राजेन्द्र कुमार के नाम कराई दिनांक 31.07.2023 को विक्रय रजिस्ट्री, सलीम मोहम्मद, सुल्ताना बानो, हसीना बानों उर्फ सलमा बी पिता चांद मोहम्मद द्वारा राजेन्द्र कुमार के कराई विक्रय रजिस्ट्री दिनांक 29.01.2024 जमीला व बबलू द्वारा कराई विक्रय रजिस्ट्री दिनांक 24.04.2024 व प्रत्यर्थी संख्या 01 नूरजहां द्वारा राजेन्द्र कुमार के नाम कराई विक्रय रजिस्ट्री दिनांक 15.05.2024 को यानि सन् 2008 में विरासत का इंतकाल खुलने के तुरंत बाद जमीन को बैंक में रहन रख ऋण लेने से खातेदारी की व सन् 2010 से निरंतर विक्रय पत्र, हक त्याग पत्र कराने के बाद जानकारी होने के बाद भी जानकारी नहीं होना दर्शाया जो असत्य होकर अस्वीकार है। पटवारी हल्का से नकल कब ली व कब जानकारी हुई नहीं दर्शाया है। अपील बेरून मियाद है। जानकारी इंतकाल खुलने के समय सन् 2008 से है व 2010 में रजिस्ट्रीयां कराने से अपीलार्थीगण को जानकारी थी जिससे दफा 5 का प्रार्थना–पत्र निरस्ती योग्य होने से उक्त कारण क्षमा किये जाने लायक नहीं है। जानबूझकर सभी आराजी वारिसान द्वारा विक्रय करने के बाद रूपये प्राप्त करने के बाद क्रेता को कब्जा देने के बाद अब जमीनों की कीमतें बढ़ जाने से क्रेतागण से और रूपये ऐठनें की नियत से उसे कानूनी कार्यवाहियों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

का डर बता शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान करनें हेतु अब इतने लम्बे समय के बाद करीबन 16–17 साल बाद अपील पेश करने से उक्त प्रार्थना पत्र दफा 05 निरस्ती योग्य है, अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र खारीज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। गलत प्रार्थना–पत्र दफा 05 का सिर्फ अपील को मियाद में लेने हेतु बनाया इसलिए मियाद का बिंदू भारी काल बाधित होने व संतोषप्रद कारण नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज फरमाई जावे। मियाद का बिन्दु जो अंकित किया है वह क्षम्य किए जाने योग्य संतोषप्रद कारण नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 01, 02, 04 व 05 ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 द्वारा अपनी बहस मियाद प्रार्थना–पत्र में जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत केली के नामान्तरण संख्या 2137 की जानकारी प्रार्थी/अपीलार्थी को नहीं थी दर्शाया है जबकि उक्त नामान्तरण संख्या 2137 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील निम्बाहेड़ा द्वारा फैसल किया गया है ना कि ग्राम पंचायत केली के द्वारा जिससे तथ्य पूर्णतः असत्य होने से अस्वीकार है। पटवार हल्का से नकल लेने के बाद प्रार्थी/अपीलार्थी को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी हुई तो नकल किस दिनांक को ली व जानकारी किस दिनांक को हुई व नकल की दरख्वास्त किस दिनांक को पेश की व नकल किस दिनांक को प्राप्त हुई यह कहीं भी नहीं दर्शाया गया है जिससे एक तो आप द्वारा असत्य तथ्य दर्शाये है व सत्यता को छुपाई गई है जबकि उक्त इंतकाल की अपीलार्थीगण को शुरू से वक्त इंतकाल खोलने के समय से जानकारी थी, इंतकाल खुलने के बाद अपने नाम आराजी आने के बाद अपीलार्थी याकूब मोहम्मद द्वारा अपनी बहन हसीना बानो पिता अकबर शाह मुसलमान से उसके हक हिस्से 1/4 की हक–त्याग की रजिस्ट्री दिनांक 27.12.2010 को उप–पंजीयन अधिकारी निम्बाहेड़ा के यहा कराई व स्वयं उपस्थित रह कर रजिस्ट्री कराई व उसे उस रजिस्ट्री के आधार पर अपने नाम आराजीयात इंतकाल खुलाकर अपने 1/4 हिस्से एवं अपनी बहन हसीना बानो के अपने पक्ष में कराये 1/4 हक हिस्से यानि अपने नाम 1/2 दर्ज हक हिस्से का इंतकाल नम्बर 2360 दिनांक 21.02.2011 को हक–त्याग से हसीना बानो के बजाय याकूब मोहम्मद के नाम किया गया यानि हक हिस्से को सहीं मान बैंक ऑफ बड़ौदा निम्बाहेड़ा में रहन रखा जिससे इंतकाल नम्बर 2437 दिनांक 20.10.2011 से याकूब मोहम्मद पिता अकबर शाह का 1/2 हक हिस्सा रहन दर्ज हुआ व लोन लिया था व अपने 1/2 दर्ज हिस्से में रहन दर्ज होने से दिनाक 21.01.2022 को राशि जमा कराई व अपने 1/2 दर्ज हक हिस्से को विक्रय विलेख कीमती 12,90,000/– रूपये अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार रूपये में प्रत्यर्थी संख्या 08 सीता बाई के पक्ष में दिनांक 07.02.2022 को विक्रय की रजिस्ट्री कराई जिससे एवं अपीलार्थी संख्या 02 बबलू मोहम्मद

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उर्फ जाकिर हुसैन द्वारा दिनांक 31.07.2023 को विक्रय पत्र कीमती 1,19,500/– रुपये अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार पांच सौ रूपये प्राप्त कर प्रत्यर्थी संख्या 07 राजेन्द्र कुमार के पक्ष में विक्रय की रजिस्ट्री करा दी व अन्य सभी अकबर शाह एवं चांद मोहम्मद के सभी वारीसान द्वारा अपने खाते में दर्ज हक हिस्से की विक्रय की रजिस्ट्रयां प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में करा विक्रय मूल्य प्राप्त कर लेने के बाद आराजी का कब्जा देने के बाद मौके पर प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 कब्जा होकर फसल खड़ी है जिसमें काफी लागत लगा दी है। प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 सद्भावी क्रेता है। विक्रय मूल्य प्राप्त करने के बाद और भी रूपये ऐठने की नीयत से उक्त इंतकाल की शुरू से पूरी जानकारी होने के बाद 17–18 सालों बाद कुलिया आराजी विक्रय करने के बाद अब उक्त अपील पेश की गई जो भारी कॉस्ट से निरस्ती के साथ साथ उक्त जानकारी नहीं होना दर्शा जानकारी को क्षमा कर अपील मियाद में लेने बाबत् पेश किये प्रार्थना–पत्र जो असत्य तथ्य दर्शाने से व पूरी जानकारी होने के बावजूद जानकारी नही होना दर्शाने से दफा 05 का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाना न्याय हित में आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपने जायज जरूरतो को पूरी करने के लिये व घर खर्च, शादीयां व अन्य आराजीयात क्रय करने में रूपयों की जरूरत होने से कई समय तक उक्त खुले इंतकाल से जमाबंदी खाते की नकल को लेकर विक्रय के प्रयास में घूमें व जब विक्रय आराजी कर दी तो अब यह तथ्य दर्शाना कि हमें इंतकाल की जानकारी नही थी असत्य होने से अस्वीकार है जबकि अपीलार्थीगण को उक्त इंतकाल की पूरी तरह से जानकारी थी। समयावधि के बाद देरी का प्रत्येक दिन का हर रोज की देरी के कारण का स्पष्टीकरण देना कानूनन आवश्यक है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील को अतिविलम्ब से कई वर्षो बाद लगभग 17–18 सालो बाद पेश करने से प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम का निरस्त फरमाये जाने के साथ अपील सव्यय निरस्त फरमाई जावें। अपीलार्थीगण द्वारा आवेदन देरी से पेश किया है और कोई संतोषप्रद युक्ति युक्त कारण नहीं है। विवादित भूमि पर न तो अपीलार्थीगण का कब्जा रहा है। इस आधार पर भी प्रार्थना–पत्र संतोषप्रद कारण नहीं होने से खारीज फरमाया जावें। अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र 16–17 वर्ष बाद भारी काल बाधित होकर असाम्यक मियाद बाहर है एवं कोई संतोषप्रद व युक्ति–युक्त कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं है, मियाद के बिन्दु पर संतोषप्रद कारण साबित कराने पर ही बाद सुनवाई अपील पर सुनवाई होती है, परन्तु दफा 5 का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया असत्य बनावटी व निराधार होने से खारीज फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT** 2009–10(1)**SC** पेज संख्या 535, **RRT** 2021(1) पेज संख्या 385, **RRT** 2021(2) पेज संख्या 1250, **DNJ Raj 1998** पेज संख्या 767, **RRT** 2021(1) पेज संख्या 336, **RRT** 2011(1) पेज संख्या 614, **DNJ** 2020(3)**SC** पेज संख्या 958, **RRT** 2013(2) पेज संख्या 887, **RRT** 2021(1) पेज संख्या 339, **RRT** 2011(1) पेज संख्या 614, **RRT** 2024(2) पेज संख्या 1383, सिविल अपील संख्या 14807/2024 दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.12.2024 मुकुंद भवन बनाम श्रीमंत छत्रपति, एसएलपी (सिविल) 935–936 सन् 2021 दिनांक 21.11.2024 एवं **RRT** 2007(2) पेज संख्या 939 का अवलोकन कराया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया की माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थना पत्र पर उदारता का रूख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा है, एवं निर्णय दिनांक 15.01.2008 की सर्वप्रथम जानकारी होने पर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने आवेदन पेश करने में कोई जानबुझ कर देरी नहीं की है। जो देरी हुई उसका कारण युक्तियुक्त रहा है एवं इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ–पत्र पेश किया गया है, अतः प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD** 1996 पेज संख्या 16, **RRD** 1994 पेज संख्या 604 का अवलोकन कराया। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र का चिंतन–मनन किया। प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र/जवाब प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत उभयपक्षकारान के शपथ–पत्रों का अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय मियाद प्रार्थना–पत्र हेतु रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। हमने उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में अपील अपीलार्थीगण द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2137 के विरूद्ध लगभग 16 वर्षो के विलम्ब से उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष दिनांक 05.06.2024 को अपील प्रस्तुत की गई है। 16 वर्षीय विलम्ब के संबंध में अपीलार्थीगण नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होना अपने मियाद प्रार्थना–पत्र में अवगत कराया गया है। जबकि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम में अवगत कराया गया है कि

अपीलार्थी याकूब मोहम्मद के पक्ष में अपीलार्थी याकूब की बहन द्वारा हक–त्याग दिनांक 27.12.2010 को पंजीयन कराया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 2360 दिनांक 21.02.2011 को राजस्व अभिलेख में हसीना बानो के बजाय याकूब मोहम्मद के नाम दर्ज किया गया। तत्पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 2437 दिनांक 20.10.2011 से याकूब मोहम्मद पिता अकबर शाह का 1/2 हक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हिस्सा रहन दर्ज हुआ है, उक्त तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा के जमाबंदी सवंत् 2067–70 के खाता संख्या 2 एवं नकल नामान्तरकरण संख्या 2360 व 2437 से होती है। तत्पश्चात् अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 8 के पक्ष में दिनांक 07.02.2022 को विक्रय विलेख निष्पादन किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 31.07.2023 को विक्रय विलेख प्रत्यर्थी संख्या 07 निष्पादन कराया गया है। अकबर शाह एवं चांद मोहम्मद के सभी वारीसान द्वारा अपने खाते में दर्ज हक हिस्से की विक्रय विलेख प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में निष्पादन कराये गये है। प्रत्यर्थीगण द्वारा उठाये गये तथ्यों की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से होती है।

इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रत्युत्तर अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि प्रकरण में अपीलार्थी संख्या 02 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 7 के पक्ष में विक्रय विलेख दिनांक 24.04.2025 का निष्पादन कराये जाने की लगभग 45 दिवस की अवधि भीतर ही न्यायालय में अपील प्रस्तुत किया जाना प्रतिवेदित होता है। अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं ही प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादन कराये गये है, ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 2137 के संबंध में जानकारी नहीं होना किसी भी स्थिति स्वीकार्य योग्य कथन नहीं है।

इसके साथ ही प्रार्थी/अपीलार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र बाबत मियाद अधिनियम में जानकारी दिनांक का अंकन नहीं करना भी प्रार्थी/अपीलार्थीगण को न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों **(Clean hand)** से नहीं आना प्रमाणित करता है। विधि द्वारा वादी/प्रार्थी/अपीलार्थीगण से अपेक्षित किया गया है कि वादी/प्रार्थी/अपीलार्थीगण न्यायालय के समक्ष, ''**स्वच्छ हार्थों**'' से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगें। ''**स्वच्छ हाथ**'' शब्द एक कानूनी सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसे ''**स्वच्छ हाथ सिद्धांत**'' या ''**अस्वच्छ हाथ सिद्धांत**'' के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि विवेकाधीन कानूनी उपाय चाहने वाले व्यक्ति ने संबंधित विशिष्ट मामले के संबंध में अनैतिक या दुर्भावना से कार्य नहीं किया होगा। इस सिद्धांत का सार इस कहावत में है, ''**जो न्याय चाहता है उसे स्वच्छ हार्थों से आना चाहिए।**'' जबकि प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं ही प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित कराये गये जो कि उनकी जानकारी में निश्चित तौर रहे है, किन्तु प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 को बतौर प्रत्यर्थी संयोजित कर के अपील प्रस्तुत नहीं की गई जो कि उनकी अनैतिक या दुर्भावना से कार्य किया जाना प्रतिवेदित करता है एवं प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 की सजगता से प्रत्यर्थी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुये है। इसके साथ ही हस्तगत प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार निम्बाहेडा का होकर तहसीलदार निम्बाहेडा को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **RRD** 1996 पेज संख्या 17, गोविन्द बनाम कल्याण में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि राज्य सरकार आवश्यक पक्ष है,क्योंकि वह भूमिधारी है तथा राज्य

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सरकार का प्रतिनिधित्व तहसीलदार द्वारा किया जाना चाहिए तथा उसे पक्षकार बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 07 व 08 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में तथ्य अवगत कराया गया है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2137 ग्राम पंचायत केली द्वारा निर्णित नहीं होकर तहसीलदार द्वारा निर्णित है। इस संबंध में विवेचन/विश्लेषण किया जाना इस स्तर पर उचित नहीं है। यह विषय गुणावगुण है।

अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2137 की जानकारी अपीलार्थीगण को होना न्यायालय के समक्ष पूर्ण रूप से प्रमाणित है। इस तथ्य में न्यायालय को किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थीगण के प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को किसी भी प्रकार से कोई बल प्रदान नहीं करते है जबकि विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मात्र औपचारिक प्रार्थना–पत्र नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण ने धारा 05 मियाद अधिनिमय का प्रार्थना–पत्र अपील के साथ केवल मात्र औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत कर लगभग 16 वर्षीय दीर्घ कालीन देरी बाबत् पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख भी नहीं किया गया है उक्त परिपेक्ष्य में अपील के साथ प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के संबंध में अंकित आधार संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं होने से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम बलहीन होकर सारहीन होना प्रमाणित पाया जाता है, जिससे प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम के खारीज होने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाये जाने अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मौजा केली पटवार हल्का केली तहसील निम्बाहेडा के नामान्तरकरण संख्य 2137 निर्णय दिनांक 15.01.2008 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को सूचनार्थ भिवजाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **15.10.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official